भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली*

-वी.लीलाधर

यह मेरा सौभाग्य है कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में अपराह्न के समय आपका साथ मुझे मिला। इस सम्मेलन में 2010 के लिए भारतीय बैंकिंग का विज़न क्या हो,इस पर विचार किया जा रहा है। मैं यहाँ के व्यवस्थापकों के प्रति आभारी हूँ,जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर उपस्थित होने का और उपस्थित मनीषियों के समक्ष मेरे अपने विचारों को रखने का मौका दिया। भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने एक लंबा सफर पूरा किया है,विशेष रूप से पिछले कुछ दशकों के दौरान, और अनगिनत उपायों को अब तक अंजाम दिया है। यद्यपि इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय बैंकिंग के भविष्य के नक्शे की एक शक्ल होगी और कई प्रकार के घटकों से वह प्रेरित होगा,तथापि मेरा मानना है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होगा भुगतान और निपटान प्रणालियों का। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भुगतान और निपटान प्रणालियां बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्थाओं के उचित तरीके से कार्य करने के लिए आवश्यक बेसिक आधारभूत संरचनाओं का एक हिस्सा हैं। वस्तुओं,सेवाओं और वित्तीय आस्ति के लिए ये अपरिहार्य हैं और केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीतियों का कार्यान्वयन करने तथा अर्थव्यवस्था में मौद्रिक स्थायित्व कायम करने के लिए इनका कुशलतापूर्वक कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बाजारों को विस्तृत करने ,उनकी गहनता में वृद्धि करने और साथ ही बाजार की आधारभूत संरचनाओं की सुरक्षा,मज़बूती और कुशलता में वृद्धि हासिल करके वित्तीय प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए भुगतान और निपटान प्रणालियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है।

इन्हीं कारणों से मैंने 'भारत में भुगतान प्रणाली' पर अपनी बात कहने का विषय चुना है,जो वित्तीय क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं का एक प्रमुख कारक है। आज मैं भारतीय भुगतान प्रणाली के प्रादुर्भाव

* मुंबई में विज़न 2010 की सभा में श्री वी. लीलाधर, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय बैंकिंग पर दिया गया विशेष भाषण जिसका आयोजन मुंबई में 1 अगस्त 2008 को भारतीय बैंक संघ द्वारा किया गया।

और उद्देश्यों की चर्चा संक्षेप में करना चाहूँगा अर्थात- सरकारी वस्तु के रूप में,बीते कुछ दशकों में हमारे द्वारा पार किए गए विभिन्न मील के पत्थर, रिज़र्व बैंक के द्वारा की गई प्रमुख पहलें जो भारत में भुगतान प्रणाली को इतना उन्नत और आधुनिक बनाती हैं कि वह बेंचमार्क बनकर विश्व के सर्वोत्तम के साथ टक्कर ले सके, और विभिन्न प्रौद्योगिकी विकास जिसका इस्तेमाल देश में भुगतान प्रणाली सेवा को इतना कामयाब बनाना है कि वह वित्तीय समावेशन को भरपूर आगे ले जा सके।

भारत में भुगतान प्रणाली का विकास

मुद्रा के विकास के साथ ही साथ भुगतान प्रणाली का इतिहास प्रारंभ होता है, ऐसा कहा जा सकता है। भुगतान का सर्वाधिक पुराना स्वरूप संभवतः विनिमय व्यापार के प्रारंभिक दिनों में ढूंढ़ा जा सकता है, जब मूल्य का भुगतान शंख-सीपियों, वस्तुओं, पशुओं और पण्यों के विनिमय द्वारा किया जाता था। विनिमय माध्यम के रूप में मुद्रा की अनुपस्थिति में इस प्रकार की प्रणाली का चलन में होना वास्तव में ही बहुत ही जटिलताओं से युक्त था क्योंकि इसमें विनिमय लेनदेन के लिए दो पक्षों की 'इच्छाओं के संयोग' पर निर्भर करता था जोकि काफी हद तक मुश्किल काम था। इसके पश्चात अधिक औपचारिक भुगतान के तरीके लिखत रूप में, जैसे - सिक्के, विकसित हुए। भारत में सबसे पहले भुगतान लिखतों के रूप में सिक्कों का चलन प्रारंभ हुआ जो छिद्रित होते थे अथवा उनकी ढलाई चांदी और तांबे में की गई होती थी; यहाँ तक कि चमड़े के सिक्कों के भी चलन में रहने की बात पता चली है। इस प्रकार मुद्रा के संस्थागत रूपों के आविष्कार के साथ ही, प्रारंभ में सिक्कों के रूप में और इसके पश्चात कागज़ी मुद्रा के रूप में, वस्तु विनिमय व्यापार समाप्त होता गया और करेन्सी के प्रचलन के युग का सूत्रपात हुआ।

आधुनिक संदर्भ में भारत में पत्र मुद्रा का उद्गम 18 वीं शताब्दी में पाया जाता है जब निजी बैंकों और साथ ही साथ अर्ध-सरकारी बैंकों ने नोट जारी किए। सर्वप्रथम जारी नोटों में वे नोट थे जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान (1770 में स्थापित प्रथम ज्वाइंट स्टॉक बैंक), बंगाल और बिहार में स्थित दि जनरल बैंक और बंगाल बैंक के द्वारा जारी किए गए थे। बाद में, 1809 से तीन प्रेसिडेन्सी बैंकों की स्थापना होने के साथ ही नोटों को जारी करने का काम इनके हाथों में आ गया और प्रत्येक प्रेसिडेन्सी बैंक को एक निर्धारित सीमा के भीतर नोट जारी करने का हक था। निजी बैंकों और प्रेसिडेन्सी बैंकों ने भारतीय मुद्रा बाजार में अन्य भुगतान लिखतों का सूत्रपात किया और बैंक ऑफ हिंदुस्तान द्वारा चेकों को प्रचलन में लाया गया। बैंक ऑफ बंगाल ने 1839 से विनिमय विपत्रों की खरीद और बिक्री का काम अपने कारोबार में सम्मिलित किया। पेपर करेन्सी ऐक्ट, 1861 के द्वारा भारत सरकार को नोट जारी करने के लिए एकल अधिकार सौंप दिए गए जिसके परिणामस्वरूप निधि और प्रेसिडेन्सी बैंकों के नोट जारी करने के अधिकार समाप्त हो गए। 1881 में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आइ. ऐक्ट) अधिनियमित किया गया जिसके द्वारा चेक, विनिमय विपत्र और प्रॉमिसरी नोट जैसे लिखतों के प्रयोग और चारित्रिक विशेषताओं को औपचारिक बना दिया गया। एन.आइ. ऐक्ट भारत में गैर नकदी, कागज़ी भुगतान लिखतों के लिए कानूनी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है और आज भी इसका विधान प्रचलन में है।

यद्यपि भारत में आधुनिक चेकों का प्रचलन 19 वीं शताब्दी में हुआ है तथापि यह महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने गैर नकदी आधारित भुगतान प्रणालियों की शुरूआत काफी पहले ही कर दी थी और इन प्रणालियों ने अपने आपको व्यापार और कारोबार के

संचालन में मज़बूत मैकेनिज्म के रूप में स्थापित किया है। ऋण लिखत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप जो भारत में विकसित हुआ उसका नाम है 'हुंडी' और बारहवीं शताब्दी से इन हुंडियों के चलन में आने की बात पता चलती है। हुंडियों का उपयोग विप्रेषण करने, ऋण और व्यापारिक लेनदेनों के लिए लिखतों के रूप में किया जाता था और ये विभिन्न प्रकार की होती थीं तथा इनकी अपनी विशिष्ट पहचान होती थी। तथापि व्यापार और वाणिज्य की मात्रा में लगातार वृद्धि होने और चेक इत्यादि के उपयोग में जनता के बढ़ते विश्वास के कारण इन लिखतों के माध्यम से भुगतान लेनदेनों में त्वरित वृद्धि भी हुई। बैंकिंग प्रणाली के विकास और लेनदेनों में चेकों की उच्च मात्रा के कारण बैंकों के बीच एक संघटित चेक समाशोधन प्रसंस्करण की आवश्यकता उभर कर आई। प्रेसिडेन्सी शहरों में बैंकों के द्वारा समाशोधन एसोसिएशनों की स्थापना की गई और सदस्य बैंकों के बीच भुगतान का अंतिम निपटान प्रेसिडेन्सी बैंकों पर चेक लिखकर प्रभावी किया जाने लगा। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना किए जाने के साथ ही भुगतान का निपटान उक्त बैंक पर चेक लिखकर किया जाने लगा। 1935 में रिज़र्व बैंक की स्थापना के बाद प्रेसिडेन्सी शहरों में अवस्थित समाशोधन गृहों को रिज़र्व बैंक ने अपने हाथ में ले लिया और पांच दशकों से अधिक समय से यह स्थिति चली आ रही है।

यह महत्वपूर्ण बात है कि कागज आधारित समाशोधन की जितनी मात्रा का हम निकास करते हैं वह विश्व में छठवीं सर्वाधिक मात्रा है और देश में अप्रैल 2007 से मार्च 2008 के दौरान लगभग 1.46 बिलियन चेकों का निकास किया गया। निकास किए गए चेकों की कुल संख्या और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी मात्रा भारत में निम्नानुसार रही है:

सारणी

प्रकार	मात्रा (बिलियन में) (अप्रैल - मार्च)			मूल्य (लाख करोड़ रुपए)		
	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007- 08
कुल चेक	**1.29**	**1.37**	**1.46**	**113.29**	**120.42**	**133.96**
इनमें से :						
क) माइकर	1.03	1.14	1.22	94.74	104.35	115.29
ख) गैर माइकर	0.026	0.023	0.024	18.55	16.07	18.67

वित्तीय क्षेत्रों के सुधारों, बैंकिंग प्रणाली के परिपक्व होने और कागज़ आधारित समाशोधन की बढ़ती मात्रा को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने अब फुटकर भुगतान और निपटान प्रणालियों के वास्तविक प्रबंधन से दूर होते जाने के नीतिगत रुझान को अपनाया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों से नए माइकर आधारित चेक प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना का काम वाणिज्य बैंकों को सौंप दिया गया है। समाशोधन गृहों के प्रबंधन को भी काफी हद तक विकेंद्रीकृत किया गया है तथा कई सिटी और शहरों में वाणिज्य बैंकों को समाशोधन गृहों के प्रबंध का कार्यभार सौंपा जा चुका है।

एक समग्र चित्र मात्र उपलब्ध कराने के इरादे से मुझे रिकॉर्ड के लिए यह कहने की अनुमति दें कि भारत में इस समय 1089 बैंकर्स समाशोधन कार्यरत हैं और इनमें से 1036 के प्रबंध का दायित्व भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंकों, 17 का दायित्व रिज़र्व बैंक के ऊपर है और शेष 36 का प्रबंधन 12 राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा किया जाता है। माइकर प्रौद्योगिकी (मैग्नेटिक इंक करेक्टर रेकगनिशन) को उपयोग में लाते हुए मशीनी चेक प्रसंस्करण अब 60 स्थलों पर उपलब्ध है और इसके अलावा 6 अन्य स्थलों में भी यही प्रौद्योगिकी लायी जा रही है। इसके परिणामस्वरूप देश में समाशोधन गृहों की कुल संख्या का 84 प्रतिशत काम कम्प्यूटरीकृत समाशोधन गृहों, जिनकी संख्या 915 (60 माइकर केंद्रों को सम्मिलित करते हुए) है,

के हिस्से में जाता है। इससे पता चलता है कि हमारी भुगतान प्रणाली ने वास्तव में ही पिछले दो दशकों के दौरान प्रौद्योगिकी के समस्तरीय अनुकूलन और उन्नयन करते हुए उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है।

भुगतान प्रणाली के उद्देश्य

आप में से कुछ लोगों को स्मरण होगा कि भारत में विद्यमान रहनेवाली भुगतान प्रणालियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक के द्वारा 1998 में देश में और देश के बाहर भी भारत में भुगतान प्रणालियां पर एक मोनोग्राफ निर्मित किया गया था। मोनोग्राफ में उन उद्देश्यों का भी वर्णन था जिनकी प्राप्ति की जानी थी। यहां तक कि 2001-04 के लिए भुगतान प्रणाली विज़न डाक्यूमेंट तैयार किया गया जिसमें देश में भुगतान प्रणालियों के समेकन, विकास और एकीकरण के लिए रोडमैप दिखाया गया था। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद मई 2005 में 2005-08 के लिए एक विज़न डाक्यूमेंट प्रकाशित किया गया जिसमें भुगतान और निपटान क्षेत्र के बारे में आने वाले चार वर्षों के लिए रिज़र्व बैंक के विज़न को सुस्पष्ट किया गया था। विज़न डाक्यूमेंट में जिन मिशनों का उल्लेख किया गया है वे हैं - देश के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय, ठोस और कुशल भुगतान और निपटान प्रणालियां जिनके उन्नयन के लिए हर प्रकार के प्रयास पर फोकस करना है और जबकि भुगतान और निपटान प्रणालियों में सुरक्षा का संबंध जोखिम कम करने के उपायों से है, विश्वसनीय का संबंध भुगतान प्रणालियों की अखंडता से है। सभी भुगतान प्रणालियां ठोस बुनियाद पर होंगी जो परिचालनगत प्रक्रियाओं के लिए कानून के पर्याप्त आधार और पारदर्शिता मानदंड पर आधारित होंगी। कुशलता उन्नयन इस बात में है कि लागत कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के लाभ उठाए जाएं।अतः रिज़र्व बैंक ने अपनी लोक नीतियों के उद्देश्यों के एक हिस्से के रूप में भुगतान और निपटान प्रणालियों की डिज़ाइन, इसके विकास और कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई है तथा वर्षों से किए जा रहे रिज़र्व बैंक के बहुआयामी प्रयास से ये विज़न प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।

भारिबैं की भूमिका

भुगतान प्रणाली का विकास करना एक विकासात्मक भूमिका है जो अधिकतर केंद्रीय बैंकों के द्वारा की जाती है। यह भलीभांति स्थापित हो चुका है कि कुशल भुगतान और निपटान प्रणाली किसी भी आधुनिक वित्तीय प्रणाली के कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए एक अनिवार्यता बन चुकी है। अतः इस दिशा में कई वर्षों से रिज़र्व बैंक ने देश के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय, ठोस और कुशल भुगतान प्रणाली विकसित करने हेतु एक संस्थागत फ्रेमवर्क के निर्माण में उत्प्रेरक की भूमिका अदा की है। इसने भुगतान प्रणालियों को मज़बूत बनाने और परिष्कृत करने के लिए कई प्रकार के संस्थागत, प्रक्रियागत और परिचालनगत उपायों को प्रारंभ किया है। रिज़र्व बैंक के प्रयासों को उचित परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए मुझे कुछ विशेष बातों को सिलसिलेवार संक्षेप में कहने की अनुमति दें।

विप्रेषण सुविधा योजना

आप में से अधिकतर लोगों को याद होगा कि समाशोधन केंद्र के बीच निपटान निधियों को प्राप्त करने और भेजने के लिए सर्वाधिक पुराना तरीका रिज़र्व बैंक द्वारा 1940 में उपलब्ध कराया गया था। 1 अक्तूबर 1940 से रिज़र्व बैंक के द्वारा एकीकृत विप्रेषण सुविधा योजना परिचालित की जा रही है जो देश में विभिन्न केंद्रों पर अवस्थित बैंकों के बीच निधियों

का अंतरण सुविधाजनक तरीके से शीघ्रतापूर्वक और न्यूनतम लागत में करती है। यह योजना रिज़र्व बैंक द्वारा और इसके एजेंटों के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के द्वारा, सरकार के राजकोषों और उप-राजकोषों को भी सम्मिलित करते हुए, परिचालित की जाती है। अन्य केंद्रों पर भारतीय स्टेट बैंक विप्रेषण योजना का परिचालन करता है जो बैंकों को निधि उपलब्ध कराने और उनके विभिन्न निपटान खातों से आहरण करने में उन्हें सक्षम बनाता है। भारतीय स्टेट बैंक की अनुपस्थिति में इसके सहायक बैंक अथवा सरकारी क्षेत्र के बैंक, जो समाशोधन गृह का कार्य देखते हैं, विप्रेषण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। यह योजना हमारे उद्देश्यों को भलीभांति पूरा करती है और सभी समाशोधन गृहों के बीच निधियों के निपटान संबंधी आवागमन को पूरा करती है।

समाशोधन गृह विनियम

जैसा कि आप जानते है बैंकर्स समाशोधन गृह देश की संपूर्ण भुगतान प्रणाली में अत्यधिक महत्वपूर्ण कड़ी है और उनके कुशलतापूर्वक और सुचारू रूप से कार्य करना किसी भी मज़बूत भुगतान प्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक है। तथापि 1986 से पूर्व समाशोधन गृहों के कारोबार से जुड़े लेनदेनों के लिए कोई औपचारिक विनियम और नियामवली नहीं होती थी और प्रत्येक समाशोधन गृह के अपने-अपने नियम और विनियम हुआ करते थे जो स्थानीय रीति-रिवाजों पर आधारित होते थे। इसके परिणामस्वरूप विवाद के मामले में समस्याओं का समाधान निकाल पाना कठिन होता था। अतः 1986 में रिज़र्व बैंक ने संपूर्ण देश में समाशोधन गृहों के काम करने के तरीकों को विनियमित करने के लिए फ्रेमवर्क के रूप में दिशा-निदेशों का एक सेट निर्मित किया जिसे बैंकर्स समाशोधन गृहों के लिए एक समान विनियम और नियमावली (यूआरआर) के नाम से जाना गया। ये दिशा-निदेश बैंकिंग उद्योग में बढ़ते हुए कम्प्यूटरीकरण और इसके कारण समाशोधन गृहों के कार्य करने के तरीकों में आए परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में भी आवश्यक हो गए। इन विनियमों को देश में प्रत्येक समाशोधन गृह की जनरल बॉडी के द्वारा व्यक्तिगत रूप में स्वीकार किया जा चुका है। व्यक्तिगत समाशोधन गृहों को स्वतंत्रता प्राप्त है कि वे अपनी खुद की नियमावली बनाएं जो विनियमों के द्वारा उपलब्ध कराए गए मोटे फ्रेमवर्क के अनुरूप होनी चाहिए। एक समान नियमावली और विनियम देश में भुगतान प्रणाली के लिए औपचारिक संस्थागत फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने की दिशा में बढ़ाए गए महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए बोर्ड

देश में भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए संस्थागत फ्रेमवर्क को मज़बूती प्रदान करने के प्रयोजनार्थ रिज़र्व बैंक ने अपने केंद्रीय बोर्ड की समिति के रूप में 2005 में भुगतान और निपटान प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण (बीपीएसएस) के लिए बोर्ड का गठन किया इस बोर्ड की अध्यक्षता गवर्नर रिज़र्व बैंक करते हैं, जबकि सभी चार उप गवर्नर और केंद्रीय बोर्ड के दोनों बाह्य निदेशक इसके सदस्य होते हैं। बीपीएसएस का काम है सभी प्रकार की भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए नीतियां निर्धारित करना, विद्यमान भविष्य प्रणालियों के लिए मानक तैयार करना, भुगतान और निपटान प्रणालियों को अधिकृत करने के लिए मानदंड का अनुमोदन करना और इन प्रणालियों (सदस्यता जारी रखने, समाप्त करने और अस्वीकृत करने को सम्मिलित करते हुए) की सदस्यता ग्रहण करने के लिए मानदंड तय करना। इस प्रकार पूरे देश में भुगतान

और निपटान प्रणालियों के संबंध में बीपीएसएस ही सर्वोच्च नीतिनिर्धारक निकाय है और इसके दायरे में इलेक्ट्रॉनिक, गैर इलेक्ट्रॉनिक, घरेलू और सीमापार की भुगतान और निपटान प्रणालियां (जो घरेलू लेनदेनों को प्रभावित करती हैं) आती हैं। इसके उद्भव से अब तक के अल्पकाल में बीपीएसएस ने देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के उभरते स्वरूप को एक निश्चित आकार देने में अपना मूल्यवान मार्गदर्शन दिया है और बैंकों की भुगतान सेवाओं की पहुंच को विस्तृत करते हुए इसके दायरे में इससे जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों को लाने में मदद की है।

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माना जाता है कि भुगतान और निपटान प्रणालियों का कार्य सुस्थापित कानूनी बुनियाद पर टिका होना चाहिए। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्थापना करने और भुगतान प्रणालियों के लिए उचित रूप से अधिकृत करने, नेटिंग, अंतिम निपटान के लिए कानूनी मान्यता, भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए विनियमन और पर्यवेक्षण की व्यवस्था का प्रावधान होना चाहिए। कई देशों ने अपने केंद्रीय बैंकों के विधान में इन आवश्यकताओं का प्रावधान किया है अथवा इस प्रयोजनार्थ अलग और विस्तृत कानून निर्मित किए हैं। भारत में जहाँ अर्थव्यवस्था तीव्र गति से वृद्धिशील है, बढ़ती जा रही विपुल मात्रा और मूल्यों के निपटान का काम भुगतान प्रणालियों के द्वारा किया जाता है। ग़ैर बैंकिंग निकाय जो केंद्रीय बैंक के लिखित विनियामक दायरे से बाहर हैं, महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों को चला रहे हैं/को चलाने वाले हैं। कई प्रकार के नवोन्मेष भुगतान लिखतें/प्रणालियां अविनियमित निकायों द्वारा चलाई जा रही हैं, बावजूद इसके कि बृहद भुगतान प्रणालियां (जो अविनियमित हैं) वित्तीय प्रणालियों के स्थायित्व के लिए जोखिम पैदा करती हैं। उचित प्रबंधन और परिचालनगत संरचनाओं के रहे बगैर जितनी भी अनधिकृत फुटकर भुगतान प्रणालियां हैं वे समग्र भुगतान प्रणालियों की कार्यक्षमता में आम जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रिज़र्व बैंक और भारत सरकार का मानना है कि भुगतान और निपटान प्रणालियों को विनियमित करने के लिए लिखित कानून होना चाहिए। संसद के द्वारा दिसंबर 2007 में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम रिज़र्व बैंक को भुगतान और निपटान प्रणालियों को विनियमित करने और उनका पर्यवक्षण करने हेतु अधिकार सुपुर्द करता है और बहु पक्षीय नेटिंग और निपटान के लिए कानूनी आधार उपलब्ध कराता है। यह अधिनियम भुगतान और निपटान प्रणालियों को विनियमित करने और उनका पर्यवेक्षण करने हेतु नीति निर्धारित करने ,उनकी स्थापना/निरंतरता,निदेश जारी करने,मानक तय करने ,सूचना/डाटा मंगाने, अधिनियम के प्रावधानों,विनियमों और निदेशों इत्यादि का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाने/आर्थिक दंड लगाने का अधिकार रिज़र्व बैंक को सौंपता है । यह अधिनियम शीघ्र ही लागू हो जाएगा।

फुटकर भुगतान के लिए छाता संगठन

भारत में फुटकर कागज़ आधारित और इलेक्ट्रॉनिक चलित समाशोधन गृहों का कार्य पूरे देश में लगभग 1089 समाशोधन गृहों के द्वारा किया जाता है जिनका संचालन रिज़र्व बैंक ,भारतीय स्टेट बैंक,इसके सहायक बैंकों और सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों के द्वारा किया जाता है। कई स्थानीय ऑपरेटरों की उपस्थिति और विभिन्न स्थानीय पद्धतियों के चलन, जो समाशोधन के काम-काज को प्रभावित

करते हैं,के कारण कई बार समाशोधन कार्य की सुरक्षितता और कुशलता तो प्रभावित होती ही है तथा साथ ही साथ ग्राहक को भी उचित महत्व नहीं मिल पाता। इन परिस्थितयों में उत्पाद नवोन्मेष का दायरा सीमित होता है और साथ ही भुगतान प्रणालियों के दायरे में भी विस्तार नहीं हो पाता । रिज़र्व बैंक ने विज़न डाक्यूमेंट(2005-08) में भारत में भुगतान प्रणालियों के लिए फुटकर भुगतान प्रणालियों से हटकर आरटीजीएस प्रणाली का संचालन करने,भुगतान प्रणालियों को नियंत्रित और उनका पर्यवेक्षण करने और प्रमुख भुगतान प्रणालियों के लिए निपटान लेखे उपलब्ध कराने पर अपना ध्यान केंद्रित करने के आशय का खुलासा किया है। इस डाक्यूमेंट में राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था स्थापित करने का भी उल्लेख किया गया है जो देश की सभी फुटकर भुगतान प्रणालियों के लिए जिम्मेदार होगी और उनका परिचालन करेगी। इस छाता संगठन की स्थापना से फुटकर भुगतानों में एकरूपता और मानकीकरण के कारण अधिक कुशलता आएगी,इसकी पहुँच बढ़ेगी और नवोन्मेष उत्पाद आएंगे जो ग्राहकों की सुविधा में वृद्धि करेंगे । भारतीय बैंक संघ की ओर से इन मुद्दों की जांच करने और इस संगठन की स्थापना के लिए सिफारिशें करने के लिए एक कार्यदल की स्थापना की गई। यह संगठन, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान कारपोरेशन (एनपीसीआइ)के नाम से जाना जाता है,कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक निकाय होगा और इसका स्वामित्व बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के हाथों में होगा। एनपीसीआइ धारा 25 के अंतर्गत एक कंपनी होगी जो अपने लाभों को लाभांश के रूप में वितरित नहीं कर सकती परंतु इतना जरूर कर सकती है कि वह इसका उपयोग फुटकर भुगतान प्रणालियों की पहुँच में सुधार और विस्तार करने के लिए करे। कंपनी का स्वामित्व उचित रूप से विभक्त होगा जिसमें किसी भी बैंक अथवा बैंकों के समूह की अंशधारिता कुल अंशधारिता के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में निर्धारित किया गया है कि इस कंपनी की इस प्रकार की ईक्विटी के कम से कम 51 प्रतिशत की धारिता सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास रहेगी। एनपीसीआइ की स्थापना संबंधी कार्य प्रगति पर है।

अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के क्षेत्र में रिज़र्व बैंक के द्वारा की गई पहल के बारे में दो शब्द कहने की अनुमति दें।

इलेक्टॉनिक भुगतान और बैंकिंग के लिए रिज़र्व बैंक की पहल

सुरक्षित,रक्षित,ठोस और कुशल भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहित करने की लोक नीति उद्देश्यों की अपनी भूमिका के निर्वाह में रिज़र्व बैंक ने कई पहलें इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए की हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रिज़र्व बैंक ने 1995 में इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) और इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (ईएफटी),मार्च 2004 में रियल टाइम ग्रॉस सेट्लमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली,नवंबर 2005 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण(एनईएफटी)और फरवरी 2008 में चेक ट्रंकेशन प्रणाली(सीटीएस)का प्रारंभ किया। मुझे रिज़र्व बैंक द्वारा लाए गए इन भुगतान प्रणाली उत्पादों का संक्षप में आकलन प्रस्तुत करने की अनुमति दें।

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हम अपनी भुगतान प्रणाली में उन्नयन कर सकें इस प्रयोजनार्थ रिज़र्व बैंक ने पहल की और भारत में इलेक्ट्रॉनिक

समाशोधन सेवा 1990 के मध्य में स्थापित की जो कतिपय अन्य देशों में प्रचलित ऑटोमेटेड क्लीअरिंग हाउस(एसीएच)के समकक्षीय है। इसके दो संस्करण हैं- ईसीएस-क्रेडिट क्लीअरिंग और ईसीएस-डेबिट क्लीअरिंग। क्रेडिट क्लीअरिंग का संचालन 'एकल नामे-बहुपक्षीय जमा' सिद्धांत पर किया जाता है और इसका उपयोग वेतन,पेंशन,लाभांश और ब्याज इत्यादि के भुगतान के लिए किया जाता है तथा डेबिट क्लीअरिंग का संचालन 'एकल जमा-बहुपक्षीय नामे' सिद्धांत पर किया जाता है और इसका उपयोग विद्युत, टेलीफोन बिल इत्यादि जैसी सेवा के प्रदाताओं द्वारा भुगतान वसूल करने और साथ ही साथ बैंकों के द्वारा उधारकर्ताओं से हाउसिंग और व्यक्तिगत ऋणों पर मूलधन/ब्याज की चुकौती प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक माह लगभग 18 मिलियन लेनदेनों का आवागमन ईसीएस प्रणाली के माध्यम से होता है। देश में यह सुविधा वर्तमान में 70 केंद्रों पर उपलब्ध है। इसके अंतर्गत टी + 1 आधार पर निपटान किया जाता है और निपटान चक्र टी + 1 पर पूरा होता है। रिज़र्व बैंक राष्ट्रीय ईसीएस प्रणाली विकसित करने का काम हाथ में ले चुका है जिसके बारे में मैं कुछ देर बाद बात करूंगा।

इंटरनेट बैंकिंग

इस बात का स्मरण करें कि भारत में इंटरनेट आधारित बैंकिंग के प्रादुर्भाव के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने प्रौद्योगिकी और सुरक्षा, कानूनी पक्षों और बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए 2001 में इंटरनेट बैंकिंग पर कार्य दल की नियुक्ति थी। इस कार्यदल की सिफारिशें चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर ली गईं और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देने वाले बैंकों के द्वारा अपनाए जाने के लिए रिज़र्व बैंक ने जून 2001 में बैंकों को इंटरनेट बैंकिंग पर विस्तृत दिशानिदेश जारी किए गए। यद्यपि इस दल ने इंटरनेट बैंकिंग के संदर्भ में अपनी सिफारिशें दीं, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के सभी रूपों के लिए सामान्यतया अधिकतम संभव सीमा तक लागू किया जाना था। बैंकों को अब बोर्ड द्वारा अनुमोदित इंटरनेट बैंकिंग नीति के आधार पर इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं देने की अनुमति प्रदान कर दी गई है तथा अब उन्हें रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रही। अब यह भी जरूरी नहीं रहा कि इंटरनेट बैंकिंग के जरिए दिए जाने वाले उत्पाद पोर्ट फोलिओ केवल लोकल करेन्सी उत्पादों तक ही सीमित हों अपितु इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अनुमत निहित लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा सेवाएं भी दी जा सकती हैं। भारत में बैंकों में रखे गए ओवरसीज़ बैंकों और विदेशी मुद्रा गृहों के वोस्त्रो खातों के परिचालनों की भी अनुमति इंटरनेट आधारित परिचालनों के माध्यम से दी गई है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इंटरनेट बैंकिंग उपलब्ध कराने के लिए सबसे बड़ी चिंता बैंकों द्वारा अभिगृहीत वृद्धिकारी परिचालनगत जोखिमों, जो बैंकिंग सेवाओं के लिए इस नये सुपुर्दगी चैनेल को उपयोग में लाने के कारण है, का प्रभावी प्रबंधन करना होगा।

तत्काल सकल निपटान प्रणाली (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम)

हमारे देश में भुगतान प्रणाली आम तौर पर आस्थगित विशुद्ध निपटान अनुशासन का अनुसरण करती है जिसके अंतर्गत बैंकों के बीच में विशुद्ध राशि का निपटान आस्थगित आधार पर किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में निपटान जोखिम का तत्व निहित होता है। अतः बृहद मूल्य भुगतान प्रणालियों में जोखिम कम करने की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में रिज़र्व बैंक के द्वारा मार्च 2004

में आरटीजीएस का परिचालन प्रारंभ किया गया जो वास्तविक समय और सकल आधार पर लेनदेनों के निपटान को प्रभावी करता है। हमारे देश में लगभग सभी अंतर बैंक लेनदेनों और कई समयबद्ध ग्राहक लेनदेनों का निपटान अब इस प्रणाली के द्वारा किया जाता है। आरटीजीएस पूर्णतया एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली है जिसमें बैंकों और ग्राहकों को वास्तविक समय आधार पर भुगतानों की प्राप्ति हो सकती है। भौगोलिक दृष्टि से आरटीजीएस लेनदेनों की पहुँच में भी वृद्धि हुई है। देश में लगभग 75,000 बैंक शाखाओं में से 48,300 से भी अधिक शाखाएं ग्राहक लेनदेनों और अंतर बैंक लेनदेनों के लिए आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से विप्रेषण करने के लिए अनुरोध स्वीकार करती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरटीजीएस प्रणाली का उपयोग एक मात्र बृहद मूल्य लेनदेनों के लिए किया जाता है, ग्राहक लेनदेनों के लिए न्यूनतम 1,00,000 रुपए की सीमा निर्धारित की गई है तथा फुटकर लेनदेनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के वैकल्पिक चैनेल का उपयोग किया जाता है। लेनदेनों का दैनिक औसत मात्रा में 34,000 से अधिक है तथा मूल्यों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। रिज़र्व बैंक भी आरटीजीएस परिचालनों के लिए सदस्य बैंकों को संपाश्र्विक आंतर-दिवस-चलनिधि (आइडीएल) सहायता उपलब्ध कराता है। आरटीजीएस की मात्रा में क्रमशः विस्तार होते देख उच्च मूल्य समाशोधन प्रणाली की जारी आवश्यकता और प्रासंगिकता पर कोई एक निर्णय लेना होगा - क्योंकि दोनों प्रणालियों में समान मूल्य सीमा और लक्ष्य क्लाइंटेल के कारण कार्य संबंधी ओवरलैप है।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली (नैशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रान्सफर सिस्टम)

रिज़र्व बैंक का एक और नवोन्मेषी उत्पाद है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली जिसका प्रारंभ देश में नेटवर्क आधारित बैंक शाखाओं के बीच बैंक ग्राहकों के द्वारा निधियों के अंतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिक सुरक्षित राष्ट्रीय स्तर पर फुटकर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के रूप में नवंबर 2005 में किया गया था। यह आस्थगित विशुद्ध निपटान प्रणाली है और सुरक्षा तथा प्रसंस्करण कार्यक्षमता के संदर्भ में अन्य विधियों का अधिक उन्नत रूप है। इसमें एक दिन में छह निपटान चक्रों का प्रावधान है और लाभार्जक के खाते में टी + 0 आधार पर निधियों के अंतरण को प्रभावी करता है। यह सुविधा वर्तमान में पूरे देश में 46,300 बैंक शाखाओं से भी अधिक शाखाओं में उपलब्ध है। इसके अंतर्गत लेनदेनों का दैनिक औसत, मात्रा में 80,000 से अधिक और मूल्य में 500 करोड़ रुपए से अधिक है। यह माना जाता है कि आरटीजीएस युक्त सभी बैंक शाखाएं एनईएफटी युक्त भी होंगी और ग्राहक को आरटीजीएस अथवा एनईएफटी दोनों प्रणालियों का विकल्प उपलब्ध होगा जिसका चुनाव समयबद्धता, लेनदेन के मूल्य और दोनों प्रणाली के लिए अलग-अलग भुगतान करने की उसकी इच्छा पर आधारित होगा। एनईएफटी लागू किए जाने के साथ ही 1994 में लागू की गई इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली अब केवल सरकारी भुगतानों तक ही सीमित है। मुझे यह भी कहने का मौका दें कि एनईएफटी आधारभूत संरचना को उपयोग में लाते हुए भारत से नेपाल को एकतर्फा प्रणाली का कार्यान्वयन रिज़र्व बैंक द्वारा 15 मई 2008 से किया जा रहा है।

चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस)

रिज़र्व बैंक द्वारा जिस सर्वाधिक नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद का प्रचालन किया गया है वह है चेक ट्रंकेशन प्रणाली। यह प्रणाली पायलट आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली में 1 फरवरी 2008 को प्रारंभ की गई। इसमें 10 बैंकों ने भागीदारी की। वर्तमान में सभी बैंक इस प्रणाली में

53 प्रत्यक्ष सदस्य बैंकों के माध्यम से भागीदारी करते हैं। सीटीएस का मुख्य उद्देश्य है प्रणाली की कार्यक्षमता में उन्नयन करना और चेक प्रसंस्करण समय को महत्वपूर्ण रूप से कम करना। परंपरागत समाशोधन प्रणाली, जिसमें भुगतान और निपटान के लिए समाशोधन गृह में चेकों को भौतिक रूप में प्रस्तुत करना होता है, में वांछित समाशोधन समय और आधारभूत संरचना के संदर्भ में निश्चित रूप से व्युत्पन्न खामियां छुपी होती हैं। भौतिक चेक समाशोधन के लिए वांछित लॉजिस्टिक्स की घोरता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि हमने अप्रैल 2007 से मार्च 2008 वर्ष के दौरान देश में लगभग 1.46 बिलियन चेकों की निकासी की। इसके विपरीत चेक ट्रंकेशन का सबसे बड़ा लाभ है कि इसमें चेकों को भौतिक रूप में समाशोधन गृह में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहती; बल्कि चेकों की इलेक्ट्रॉनिक इमेज समाशोधन गृह को भेज दी जाती है। सीटीएस उसी दिन चेकों की वसूली को प्रभावी करेगा और इस प्रकार यह मैनुअल तथा माइकर समाशोधन की तुलना में निपटान विधि और भी कम लागत में उपलब्ध कराता है। छोटे बैंक, जो इस ढांचे को स्थापित करना लाभकारी नहीं पाते हैं, कुछ बड़े बैंको के द्वारा इस प्रयोजनार्थ स्थापित सेवा ब्यूरो की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सीटीएस के पूरी तरह काम करना प्रारंभ करने पर यह प्रणाली पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रणाली हो जाएगी और हमारे देश को कागज़ आधारित लिखतों से छुटकारा दिलाकर एक ही छलांग में भुगतान और निपटान के पूर्णतया इलेक्ट्रॉनिक मोड में ले जाएगी। परक्राम्य लिखत अधिनियम ,1881में आवश्यक संशोधन किए गए हैं जो ट्रंकेटेड चेक के इलेक्ट्रॉनिक इमेज को कनूनी मान्यता देते हैं। ये संशोधन चेक ट्रंकेशन प्रणाली के लिए कानूनी आधार उपलब्ध कराते हैं।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस)

राष्ट्रीय ईसीएस को रिज़र्व बैंक के द्वारा विकसित किया जा रहा है जो ईसीएस लेनदेनों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण को प्रभावी करेगा। विद्यमान ईसीएस प्रणाली इसके विपरीत है क्योंकि विद्यमान प्रणाली में परिचालनों को 70 स्थलों पर विकेंद्रीकृत किया गया है जो देश भर में फैले हुए हैं। राष्ट्रीय ईसीएस के अंतर्गत समस्त ईसीएस लेनदेनों का प्रसंस्करण नरीमन प्वाईन्ट, मुंबई स्थित राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष में केंद्रित होगा तथा प्रायोजक बैंकों को केवल अपनी फाईलें ऑन लाइन डेटा वैधीकरण सुविधा के साथ वेब सरवर में अपलोड करनी होंगी। गंतव्य बैंकों के द्वारा उनके समाशोधन डेटा/फाईलें वेब सरवर के माध्यम से एक केंद्रीकृत स्थल पर प्राप्त की जाएंगी। राष्ट्रीय ईसीएस वाणिज्य बैंकों के कोर बैंकिंग प्लेटफार्म को लीवरेज देगा जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न बैंकों की कोर बैंकिंग युक्त लगभग 50,000 शाखाएं इस सेवा का लाभ उठा पाएंगी। यह प्रणाली एनईसीएस लेनदेनों की प्रविष्टि बिना किसी व्यवधान के और पूर्णरूपेण स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) परिवेश में किया करेगी। उपभोगकर्ताओं और सदस्य बैंकों को यह प्रणाली किसी एक स्थान पर डेटा फाईलें प्राप्त करने और इनका प्रसंस्करण करने में सहायक होगी और इस प्रकार भुगतान प्रणाली की कार्य कुशलता को उन्नत करेगी।

मोबाईल बैंकिंग

आप इस तथ्य को भली-भांति जानते हैं कि भारत में मोबाईल फोन उपभोक्ताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि के साथ ही बैंकों के द्वारा यह संभावना देखी जा रही है कि बैंकिंग सेवाओं के वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनेल के रूप में मोबाईल फोन की अर्थसंभाव्यता कहां तक संभव है। कुछ बैंकों ने खाते में शेष, चेकों के संबंध में

भुगतान रोकने के अनुदेश, पिछले पांच लेनदेनों के अभिलेख इत्यादि जैसी सूचना आधारित सेवाएं मोबाईल फोन के द्वारा देना प्रारंभ किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बैंकिंग सेवाओं के लिए यह प्रौद्योगिकी लगभग नई है, अतः इसमें वित्तीय लेनदेनों की सुरक्षितता सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षा उपायों का होना आवश्यक है जिसके लिए रिज़र्व बैंक ने परामर्शी प्रक्रिया के द्वारा 'भारत में मोबाईल भुगतान के लिए परिचालन दिशा-निदेशों का ड्राफ्ट' तैयार किया गया है जिसे आम जनता के सुझावों के लिए जून 2008 में रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला जा चुका है। उम्मीद की जाती है कि इन दिशा-निदेशों के परिचालन में आने के बाद देश में मोबाईल बैंकिंग के लिए परिचालन परिवेश को मज़बूत बनाने में मदद मिलेगी।

सैटेलाईट बैंकिंग

इलेक्ट्रॉनिक विधि से भुगतान करने को सुविधाजनक बनाने में विश्वसनीय संप्रेषण नेटवर्क की उपलब्धता का होना पहली शर्त है। तथापि देश के कई हिस्सों में टेरेसट्रियल कम्यूनिकेशन लिंक की अनुपलब्धता (विशेष रूप से दुर्गम-दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में) इस प्रकार के इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं का विस्तार जोरदार तरीके से करने में प्रमुख बाधा पैदा करती है। ऐसे दुर्गम इलाकों में, जो टेरेसट्रियल लिंक से जुड़ा नहीं है, सैटेलाईट कनेक्टिविटी ही एक ऐसा उचित मोड है जिसके द्वारा शाखाओं को जोड़ा जा सकता है और साथ ही इसे फालबैक सिस्टम के रूप में रखा जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में रिज़र्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणालियों के बोर्ड के एक सदस्य द्वारा उन ग्रामीण इलाकों में जहाँ विश्वसनीय कम्यूनिकेशन लिंक की अनुपलब्धता के कारण भुगतान की ये सुविधाएं नहीं पहुंच सकी हैं वहां भुगतान सेवाएं पहुंचाने के लिए सैटेलाईट कम्यूनिकेशन प्रौद्योगिकी के उपयोग पर पेपर तैयार किया गया था। रिज़र्व बैंक के द्वारा गठित तकनीकी समूह ने अब प्रस्ताव की जांच की है और सैटेलाईट कनेक्टिविटी के उपयोग की सिफारिश की है क्योंकि इसके उपयोग से ग्रामीण शाखाओं को बैंकों के कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफार्म से जुड़ने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाएं अपने ग्राहकों को निधि अंतरण सुविधा कुशलतापूर्वक दे सकेंगी।

तथापि बैंक शाखाओं के लिए सैटेलाईट कनेक्टिविटी निर्मित करने में आनेवाली लागत के मद्देनज़र रिज़र्व बैंक इस प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले बैंकों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए प्रावधान करने पर विचार कर रहा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि उत्तर-पूर्व के राज्यों में तथा देश के शेष कम बैंक केंद्रों वाले जिलों में बैंकों के द्वारा सैटेलाईट कनेक्टिविटी का उपयोग किया जाता है तो सैटेलाईट कनेक्टिविटी के लिए लीज़ किराए के एक भाग का भुगतान रिज़र्व बैंक के द्वारा किया जाएगा। इस योजना के संबंध में चर्चा पत्र आम जनता से सुझावों के लिए जून 2008 में भारिबैं वेब साईट पर डाला जा चुका है।

मैं यह और कहना चाहूंगा कि सैटेलाईट कम्यूनिकेशन लिंक सर्वाधिक आपदारक्षित है क्योंकि सैटेलाईट की अवस्थिति व्योम मंडल में होने के कारण पृथ्वी पर आई भारी-भरकम प्राकृतिक आपदाओं यथा - बाढ़ अथवा जलजला या भूकंप में भी यह अपना काम लगातार करता रहता है। अतः सैटेलाईट कम्यूनिकेशन लिंक देश में, जहां टेरेसट्रियल कनेक्शन पूरी तरह चौपट हो सकते हैं, प्रमुख केंद्रों के लिए बैकअप कम्यूनिकेशन लिंक के रूप में आदर्श तरीके से काम करता है।

आगे की चुनौतियां

इसमें कोई शक नहीं कि हमने भुगतान और निपटान प्रणाली के आधुनिकीकरण में काफी कामयाबी हासिल की है। बैंकिंग प्रणाली ने भी भुगतान प्रणाली का उन्नयन करने के लिए संबंधित आधारभूत सुविधाओं में भारी-भरकम निवेश किया है। तथापि कई प्रकार की चुनौतियां है जिनका समाधान प्रभावकारी रूप से किया जाना है यदि हम अब तक की प्राप्तियों के संपूर्ण लाभ पाना चाहते हैं।

भुगतान प्रणाली क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती है पूरे देश में भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग बड़े पैमाने पर प्रारंभ करना और इस मैकेनिजम को अपनाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना। मेरे विचार में निधि अंतरण के इलेक्ट्रॉनिक मोड को अपनाने, विशेष रूप से फुटकर सेगमेंट में, की धीमी रफ्तार का प्रमुख कारण है शिक्षा का अभाव - विशेष रूप से शाखा स्तर पर बैंक के स्टाफ, जो जनता के साथ संपर्क में रहता है, के बीच इसके बारे में जानकारी न होना। हाल ही में रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि सीमित नमूने के सर्वेक्षण में राज्य में बैंकों की ऐसी तमाम शाखाएं हैं जिन्हें राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली के बारे में कोई जानकारी न थी। अतः बैंकों के द्वारा शाखा स्टाफ के स्तर पर जानकारी में वृद्धि करने के लिए सघन प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सेवाएं महत्वपूर्ण रूप से जनता तक पहुंच सकें।

सिक्के का दूसरा पहलू है ईएफटी की विशेषताओं और इसके लाभों के बारे में ग्राहकों के बीच शिक्षा और जागरूकता का अभाव जिसके कारण इस उत्पाद का प्रसार तेजी से नहीं हो रहा और परंपरागत भुगतान मोड चलन में हैं। अतः में बैंकों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने ग्राहकों के लिए एक व्यवस्थित शैक्षिक अभियान चला कर उन्हें इन इलेक्ट्रानिक उत्पादों के फायदे समझाएं। इन्हें अपनाने से न सिर्फ बैंकों के परिचालन में कागज़ी काम का बोझ कम होगा बल्कि ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा और अंततः कारोबार की मात्रा बढ़ेगी।

जहां तक रिज़र्व बैंक का प्रश्न है इलेक्ट्रानिक भुगतान संस्कृति को बढ़ावा देने और उपभोगकर्ताओं के अनुकूल बनाने को ध्यान में रख कर रिज़र्व बैंक ने हस्तक्षेप करते हुए एटीएम के माध्यम से प्रभावी किए जाने वाले लेनदेनों के लिए मूल्य निर्धारण में एक उचित मूल्य रखने का अधिदेश किया और एक सीमा से अधिक लेनदेनों के लिए इलेक्ट्रानिक मोड का उपयोग अनिवार्य कर दिया। ईसीएस, ईएफटी/एनईएफटी और आरटीजीएस लेनदेनों के लिए रिज़र्व बैंक के द्वारा बैंकों पर लगाया जाने वाला सेवा शुल्क मार्च 2009 तक माफ कर दिया गया है ताकि कम लागत के इन लाभों को ग्राहकों को दिया जा सके और इलेक्ट्रानिक फुटकर भुगतान उत्पादों को उपयोग में लाने के लिए सही ढंग का प्रोत्साहन फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके। इसी प्रकार ईसीएस और ईएफटी/एनईएफटी लेनदेनों के लिए तय सीमाओं को भी नवम्बर 2004 में समाप्त कर दिया गया ताकि उपभोक्ता आधार का विस्तार किया जा सके। यह कार्रवाई रिज़र्व बैंक के द्वारा कई प्रकार से भुगतान प्रणालियों की आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों से अलग हटकर की गई है।

यद्यपि समग्र फुटकर सेगमेंट में इलेक्ट्रानिक भुगतान उत्पादों के अंश में वृद्धि जारी है, इस क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी बहुत ही कम है जबकि इलेक्ट्रानिक भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने

वाली शाखाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार के उत्पादों को सभी बैंकों की शाखाओं में उपलब्ध कराया जाए। इलेक्ट्रानिक भुगतान सेवाओं की भौगोलिक पहुंच में विस्तार पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि इसमें आबादी के उस भाग को भी सम्मिलित किया जा सके जिसे अब तक इसके लाभ नहीं मिले हैं। भुगतान प्रणाली की पहुंच के दायरे में ग्रामीण भारत को जोड़े बिना वित्तीय समेकन प्राप्त करना कठिन है और जो बैंक इस दिशा में सबसे पहले कदम बढ़ाएंगे उन्हें उच्च बाजार भागीदारी के संदर्भ में 'प्रथम पहलकारी लाभ' का पुरस्कार प्राप्त होगा और साथ ही साथ उनके कारोबार और राजस्व में वृद्धि तो होगी ही। इसके अलावा जैसाकि हम सभी जानते हैं, इलेक्ट्रानिक भुगतान माध्यम न सिर्फ तेज रफ़्तार और अधिक कुशल है बल्कि यह परिवेश के अनुकूल भी है क्योंकि भुगतानों को प्रभावित करने के लिए इसमें कागज पर निर्भर नहीं करना होता। यह हमारा विज़न है कि मार्च 2009 के अंत तक देश में इलेक्ट्रानिक उत्पाद मात्रात्मक रूप में 50 प्रतिशत और सकल भुगतान प्रणाली लेनदेन की मात्रा के 95 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच सके।

आगे भुगतान प्रणाली में कुछ नकारात्मक कार्यक्षमता के मुद्दे सम्मिलित हैं। जबकि स्थानीय रूप से भुगतान किए जाने वाले चेकों के लिए वर्तमान समाशोधन चक्र टी+1 आधार पर है, संपूर्ण चेक वसूली चक्र की कार्यप्रणाली को देखने की आवश्यकता है - जब ग्राहक किसी शाखा में चेक जमा करता है उस समय बिंदु से लेकर उस चेक की राशि उसके खाते में जमा होने के समय बिंदु तक को ध्यान में रखा जाना है। संभवतः समग्र वसूली चक्र निरंतर सुधार की संभावना बनी हुई है। प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में ग्राहक सेवा ग्राहकोन्मुख नहीं है।

निष्कर्ष

भुगतान और निपटान प्रणाली ही वित्तीय क्षेत्र का मेरुदंड है और वित्तीय अनुबंधों के निष्कर्षों और निपटान को प्रभावी करता है। देश ने राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली (जिसमें रिज़र्व बैंक और बैंकिंग प्रणाली दोनों ही बराबरी के साझेदार हैं) के उन्नयन और इसकी कार्यकुशलता बढ़ाने में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। देश में विश्वस्तरीय भुगतान प्रणाली स्थापित करना एक लंबी, दुर्गम परंतु रोमांचक यात्रा है जिसमें हमें निरंतर अपने बीते काल को सुधारते रहना है। मुझे यकीन है कि यहां का बैंकिंग समुदाय आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए समर्पित और व्यवस्थित प्रयास इस दिशा में करेगा और भुगतान प्रणाली, जो हमने अपने देश के लिए तैयार की है, के लिए हमारे विज़न की प्राप्ति में सक्रिय अंशदान करेगा।